प्रकाशित सुबह आती जरूर है।

— राजेश पाठक, डिप्टी सीएम, उप्र

निवेश के लिए आकर्षक स्थान बनाया जा रहा है।

— हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री

...फ बोर्ड कर्मियों के ...काया भुगतान पर जल्द बैठक बुलाएं सीईओ

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को अपने कर्मचारियों को बकाया वेतन देने के लिए एक जुलाई को लेकर एक महीने के भीतर बोर्ड की बैठक बुलाने को कहा है। न्यायमूर्ति यंद्र धरी सिंह ने इसके साथ ही बोर्ड के सदस्यों को बैठक में शामिल होने एवं उसमें सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली रिपोर्ट देने एवं सीईओ की अगली सुनवाई के दिन उपस्थित रहने को कहते हुए सुनवाई 22 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति ने वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कर्मचारियों ने इस साल की शुरुआत में याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्हें पिछले माह अक्टूबर से वेतन नहीं दिया गया है। इस कारण वे वे आर्थिक संकट में गुजर रहे हैं। कोर्ट ने फिर बोर्ड के सीईओ को धन जुटाने और याचिकाकर्ताओं का बकाया भुगतान के लिए महीने के भीतर बैठक बुलाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान मौजूद सीईओ रेशन रजा ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने एक भी कहा कि बकाया भुगतान को लेकर आवश्यक धनराशि नहीं जुटाई जा सकी, क्योंकि बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई थी।

■ धन जुटाने को लेकर एक महीने के भीतर बोर्ड की बैठक बुलाने का हाईकोर्ट का निर्देश

यमुना नदी का पानी सड़कों पर आने से उत्पन्न हालात के मद्देनजर वजीराबाद के अधिकारियों के साथ पुराना रेलवे पुल इलाके का दौरा करते पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा। फोटो : प्रेस

सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने इसके साथ ही कुछ सिविल सेवा अभ्यर्थियों की अर्जी को खारिज कर दिया। उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि परीक्षा प्रतिभाशाली लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, न कि याचिका दायर करने वालों के लिए। अर्जी में परीक्षा के लिए यूपीएससी के 10 जुलाई, 2023 को जारी विस्तृत आवेदन पत्र-1 पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

यह अर्जी इस साल की शुरुआत में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की मांग कर रहे कुछ असफल अभ्यर्थियों की याचिका का हिस्सा था। अर्जीकर्ताओं ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। मुख्य याचिका में यूपीएससी की अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका प्रकाशित करने के फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने 3 जुलाई को यूपीएससी से इस मामले में प्रारंभिक आपत्तियां दाखिल करने को कहा था। लेकिन उसने याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था और मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए स्थगित कर दी थी।

अभ्यर्थियों ने अपने अर्जी में कहा कि यूपीएससी ने कानून और न्याय की प्रक्रिया को नष्ट करने के इरादे से मुख्य परीक्षा के लिए मनमाने ढंग से आवेदन पत्र आमंत्रित किया है जिससे अदालत के समक्ष उनकी याचिका निरर्थक हो जाए।

■ हाईकोर्ट ने सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के आवेदन पर रोक लगाने की याचिका की खारिज

■ परीक्षा प्रतिभाशाली लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, न कि याचिका दायर करने वालों के लिए : हाईकोर्ट

बच्चों के इलाज के लिए शुरू हुआ एडवांस नेटवर्क

नई दिल्ली (एसएनबी)। देश की भावी पीढ़ी को बेहतर उपचार सुलभ कराने के लिए अपोलो समूह ने अपनी 40 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत को आगे बढ़ाया है। दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले अपोलो समूह के चेयरपर्सन डा. प्रताप सी रेड्डी ने राजधानी के एक पंचसितारा होटल के सभागार में देश का सबसे एडवांस नेटवर्क अपोलो चिल्ड्रेन्स लांच किया। जहां विभिन्न बीमारियों को लेकर बच्चों की देखभाल, जांच, उपचार और एक बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। देश में मौजूद 40 से ज्यादा अस्पताल इस नेटवर्क का हिस्सा होंगे। यहां 25 से ज्यादा विभिन्न देखभाल के लिए 400 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर अपने अनुभव और ज्ञान के जरिए बाल चिकित्सा को एक नए मुकाम पर लेने जाने का प्रयास करेंगे। 900 से ज्यादा बिस्तरों की क्षमता वाले इस नेटवर्क में सातों दिन, 24 घंटे बच्चों के लिए बेहतर चिकित्सा उपलब्ध होगी।

वन-स्टॉप डेस्टिनेशन : डा. रेड्डी ने कहा कि बाल चिकित्सा देखभाल की बात करें तो पिछले 40 वर्षों में अपोलो एक शानदार प्रतिष्ठा बनाने में सक्षम रहा है। हमारे प्रयासों के फलस्वरूप अपोलो में न केवल भारत बल्कि 50 से अधिक देशों के बच्चों को विश्व स्तरीय देखभाल दी जा रही है। हमारे कुशल बाल रोग विशेषज्ञों के साथ अपोलो चिल्ड्रेन्स को एक वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में तैयार किया है जहां बच्चों को उनके स्वास्थ्य के सभी पहलुओं में उच्चतम गुणवत्ता वाली देखभाल मिलेगी।

■ बेहतर नैदानिक परिणामों के साथ जांच से लेकर इलाज तक की मिलेगी सुविधा

■ देश में 40 से ज्यादा अस्पताल व 400 से ज्यादा विशेषज्ञ नेटवर्क का हिस्सा होंगे

■ 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध उन्नत उपचार सुविधाएं, आपातकालीन सेवा भी शामिल

दिल्ली विवि ने पीएचडी कोर्सेज में आवेदन के लिए खोला पोर्टल

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न पीएचडी कोर्सेज में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजीकरण की यह प्रक्रिया बुधवार, 2 अगस्त, 2023 को बंद हो जाएगी। सैकिंग वर्ष 2023-24 के लिए पीएचडी पंजीकरण पोर्टल एक शैक्षणिक वर्ष में एक में अधिक बार खोला जाएगा। पहले चरण के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे, जो यूजीसी-नेट (जेआरएफ सहित), यूजीसी-सीएसआईआर नेट (जेआरएफ सहित), आयुष-नेट, डीबीटी-जेआरएफ, आईसीएमआर-जेआरएफ, डीएसटी-इंस्पायर या समकक्ष राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा, फेलोशिप (डीआरएसी द्वारा आइडेंटिफाइड), गेट व टीयर फेलोशिप धारक और अन्य के आधार पर पात्र है। दूसरे चरण में सभी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, जो उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर पात्र होंगे, उन्हें प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पीएचडी के लिए पंजीकरण शुल्क (गैर-वापसीयोग्य), एससी-एसटी व पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 300 रुपए प्रति प्रोग्राम और यूआर, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी-एमसीएल उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए प्रति प्रोग्राम है। विश्वविद्यालय की ओर से उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि पंजीकरण के समय वह अपनी पात्रता मानदंड, आरक्षण के प्रमुख क्षेत्र और अनुसंधान प्रस्ताव की अनिवार्य आवश्यकताओं की जानकारी के लिए सूचना बुलेटिन को जरूर पढ़े। प्रवेश से संबंधित सभी सूचनाओं और अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की एडमिशन वेबसाइट और संबंधित विभाग की वेबसाइट देखें।

■ दो अगस्त को बंद होगी सत्र 2023-24 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया

■ कोर्सेज में आवेदन और प्रवेश की प्रक्रिया दो चरणों में होगी

आज राहत, कल फिर भारी बारिश के आसार

नई दिल्ली (एसएनबी)। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली में होने वाली बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अगर फिर से दिल्ली में शनिवार को भारी बारिश होती है तो लोगों को दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

बृहस्पतिवार को दिल्ली में मूसलाधार बारिश के कारण औसत तापमान 34.2 और 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और दोनों ही तापमान सामान्य से एक एक डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग ने अगले पूर्वानुमानों में शुक्रवार को दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ एक इलाकों में कहीं हल्की से कहीं तेज बारिश हो सकती है। कल वहीं का तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।

यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश व निकास बंद

नई दिल्ली (एसएनबी)। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण मेट्रो की 'ब्लू लाइन' पर यमुना बैंक स्टेशन पर यात्रियों का प्रवेश व निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और उसकी गति भी सीमित कर दी गई है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने ट्वीट किया कि यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण मेट्रो की ब्लू लाइन पर यमुना बैंक स्टेशन पर यात्रियों का प्रवेश व निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। स्टेशन पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध है और ब्लू लाइन पर सेवाएं सामान्य हैं। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने कहा कि यमुना बैंक स्टेशन को और आने वाली सड़क पर पहुंच भी अभी संभव नहीं है। डीएमआरसी ने एक अन्य ट्वीट किया कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर अभी पहुंच संभव नहीं है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यात्री कहीं, वैकल्पिक मार्ग चुनें। (स्टेशन पर) मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध है।

डीएमआरसी ने बढ़ते जल स्तर के कारण एहतियाती तौर पर यमुना के चार पुलों को मेट्रो के 30 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमित गति से पार करने की जानकारी भी दी। डीएमआरसी ने कहा कि बढ़ते जल स्तर के कारण एहतियाती तौर पर यमुना के चार पुलों को मेट्रो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमित गति से पार कर रही है। अन्य भारी गलियारों में मेवाड़ सामान्य है। डीएमआरसी के अधिकारियों ने बुधवार को बताया था कि नदी के बढ़ते जल स्तर के बीच वे यमुना पर बने मेट्रो के पुलों पर "करीबी नजर" बनाए हुए हैं।

■ मेट्रो की गति सीमित की गई : डीएमआरसी

■ स्टेशन पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध

Aqvos आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(पूर्व में "यू इंडीया फाइनेंस लिमिटेड" के नाम से जाना) | CIN: U65122RJ2012PLC034297

पंजीकृत कार्यालय एवं निगमित कार्यालय: 201-202, द्वितीय मंजिल, मालवा मॉल प्रकाशपुर, गुलाबपुरा रोड, जयपुर 302020

किस्त विराट्रीकरण अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत सांकेतिक सूचना पत्र

कार्यालय/प्रतिभूति अभिलाभार्थी द्वारा निम्नलिखित ऋणकर्ता/ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/बंधक देनेवाले को प्रतिभूति अभिलाभार्थी के पक्ष में बंधक/प्रभार के माध्यम से सुरक्षित ऋण के भुगतान के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिया था जो नोटिस को अनुसार प्राप्त नहीं हो सकी/लौटा दिया है। ऋणकर्ता को 60 दिवस के भीतर बकाया राशि जमा करने के लिए कहा गया था जो कि उन्होंने जमा नहीं की है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने निजी सम्पत्ति को अनुसार बकाया राशि भुगतान करें, अन्यथा में हमें बाध्य होगी जब कार्यवाही अधिनियम की धारा 13(4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित को अनुसार सांकेतिक कब्जा सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने हेतु कार्यवाही की जाएगी जिसमें प्रतिभूति अभिलाभार्थी उत्तरदायी होंगे।

ऋणकर्ता का नाम	बकाया 13(2) के अनुसार प्रतिभूति की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
सुनिल कुमार, श्रीमती आरती खाता सं. LNDEL02219-200115366	11 जुलाई 2023 ₹ 1182074/- 06 जुलाई 2023	फ्लैट नं. इन्क्लूजेड-420 प्रताप्त नगर, ब्लॉक ए. 14/22, गली नं. 14, बेस एरा 0, गांव बोडाखुर्द, जिला: जयपुर, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली क्षेत्रफल 100 वर्ग गज
अनुज जैन, श्रीमती आशा जैन खाता सं. LNDEL02220-201177802 व LNDEL04720-210177870	11 जुलाई 2023 ₹ 2904993/-व ₹ 1864898/- 06 जुलाई 2023	मकान नं. आर.जेड-46-ए, फ्लैट नं. 08 पर, खसरा नं. 34/4, अपर प्राइमरी फ्लैट, गली नं. 3, पश्चिम जाफरपुर, नई दिल्ली पश्चिम, दिल्ली क्षेत्रफल 69.40 वर्ग मीटर
समीर कालिया, श्रीमती सुनीता कालिया, सेवार्थ राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रायोजक लिमिटेड खाता सं. LNDEL02222-230261780	11 जुलाई 2023 ₹ 3222785/- 06 जुलाई 2023	फ्लैट नं. 189 व 190, दूसरी मंजिल बिना छत अधिकार के पॉकेट-4, सेक्टर-6, रोहिणी, दिल्ली क्षेत्रफल 449 वर्ग फीट
विशिष्ट अग्रवाल, श्रीमती सुनीता अग्रवाल खाता सुरेश खाता सं. LNDEL03229-200130873	11 जुलाई 2023 ₹ 2332418/- 06 जुलाई 2023	फ्लैट नं. बी 31, ब्लॉक बी सीमरी मंजिल (बाथरूम को छोड़ कर) फ्लैट नं. बी 31 छत अधिकार सहित) कृष्णा नगर, पश्चिमी, उत्तरदारा, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली क्षेत्रफल 36 वर्ग गज
संजय शर्मा, श्रीमती नीता खाता सं. LNDEL03237-180304946 व LNDEL04317-180265502	11 जुलाई 2023 ₹ 933887/-43/-व ₹ 158773.41/- 06 जुलाई 2023	प्रौपर्टीज आवासीय सम्पत्ति स्थित मकान सं. 102, फ्लैट फ्लोर फ्लैट नं. डी-019, खसरा नं. 783, फ्लैट टाइप-डी, शांतिपुरम, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 475 वर्ग फीट
सुनिल, सुखबीर खाता सं. LNNOH01417-180014500	11 जुलाई 2023 ₹ 1163707.42/- 06 जुलाई 2023	प्रौपर्टीज आवासीय सम्पत्ति स्थित मकान सं. 102, फ्लैट फ्लोर फ्लैट नं. डी-019, खसरा नं. 783, फ्लैट टाइप-डी, शांतिपुरम, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 475 वर्ग फीट
श्रीमती बबी सिंह, हिमांशु कुमार झा खाता सं. LNNOH01421-220185625	11 जुलाई 2023 ₹ 1383317/- 06 जुलाई 2023	प्रौपर्टीज आवासीय फ्लैट नं. 102, फर्स्ट फ्लोर, बिना छत अधिकार के, फ्लैट खसरा नं. 341, 342, 343, 344 व 345, कुल अपार्टमेंट, बाराबाबाद, गोरहा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 430 वर्ग फीट
सुरेश कुमार, श्रीमती माई-दी, सौरभ खाता सं. LNHPA00621-220129929	11 जुलाई 2023 ₹ 1256461/- 06 जुलाई 2023	आवासीय सम्पत्ति स्थित फ्लैट नं. 44, 45 व फ्लैट नं. 34 का हिस्सा, खसरा नं. 67, गांव बालमुकुन्दपुर (मौहल्ला पंचवटी कॉलोनी) इगतपुरी, नाशिकबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 200 वर्ग गज

स्थान : जयपुर दिनांक 14.07.2023 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड ग्रोवर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.

पन्तनगर पो. बन्दी लि. जनपद नैनीताल-263145 (उत्तराखण्ड)

पत्रांक: सीडसन/24-टेन्डर/2023/8234 दिनांक 13.07.2023

ई-निविदा सूचना

निगम के पन्तनगर प्रक्षेत्रों एवं के अन्तर्गत बीज उत्पादन कार्य एवं विपणन कार्य सहित एवं बीज विपणन कार्य सहित एवं बीज विपणन कार्य [illegible] के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

Brief Description of Tender	Last Date and Time for Receipt of Tender	EMD Amount
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tender Ref.NO/Natural Tender/24/ in favour of U.K. Seeds and Grow Development Corporation Ltd. Payable at S.B.I. Bank (Bank and Account No.40011628 IFSC CODE SBIN0000 [illegible] Ghadwal Pantnagar Uttarakhand.

Date of Publication on E-Procurement Portal

Starting Date of Tender Document Downloaded 14.07.2023 at 6:00 PM

Last Date of Tender Document Submitted 24.07.2023 at 10:00 PM

[illegible] कार्यालय के किसी विज्ञप्ति सूचना तथा संशोधन/कैन्सल कैन्सल किया के साथ जानकारी करना होगा।

महाप्रबन्धक

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड

ऋण वसूली और प्रबंधन विभाग

प्रशासनिक कार्यालय : नंबर 24-बी, साउथ एवेन्यू

मुख्यालय – 154 डी.एस. ई-मेल आईडी : [illegible]

फोन : 0484-2442022, फैक्स : 0484-2431748

सरफासी ऐक्ट 2002 के तहत निविदा–सह–नीलामी बिक्री की सूचना

बिक्री सूचित है कि सिटीबैंक के अपने विभागीय लिमिटेड (या कार्पोरेट/भागीदार) द्वारा [illegible] **गीथादी द्वारा पानी अनवर अली सिद्दीकी, नंबर सी–44, गली नंबर 20, शुभम बाजपाई गली नंबर, दिल्ली–110053. 2) श्री अनवर अली सिद्दीकी पुत्र सिराजवर अली सिद्दीकी, नंबर सी–44, गली नंबर 20, शुभम बाजपाई गली नंबर, दिल्ली–110053. 3) श्री मुनव्वर अली सिद्दीकी पुत्र सिराजवर अली सिद्दीकी, नंबर सी–44, गली नंबर 20, शुभम बाजपाई, गली नंबर, दिल्ली–110053 से मुहाना में प्रतिभूतिकृत दिनांक 02–07–2023 तक बकाया राशि रु 22,69,218/- (रुपए बाईस लाख उनहत्तर हजार दो सौ अठारह मात्र) दिनांक 03–07–2023 से आगे ब्याज तथा अन्य खर्चों, प्रभार के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता की सहमति के लिए देय के प्रतिभूत अभिलाभार्थी द्वारा सरफासी ऐक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 के तहत निविदा–सह–नीलामी बिक्री की सूचना।**

हमारे बैंक के बंधक अचल सम्पत्ति

अनुसूची–क : (श्रीमती इरशाद पानी अनवर अली सिद्दीकी द्वारा स्वामित्व सम्पत्ति) एक बिना आवरित यूनिट/स्टोर/गोदाम संख्या यूनिट–3 (इसका सांकेतिक कब्जा) मापित नाप 8'–1.5" पर निर्मित, लगभग 75.25 वर्ग मीटर सहित नाप 4.00 मिलने हुआ एवं [illegible] मिलान [illegible] उत्तर प्रदेश–201009. भौगोलिक निर्देशांकृत नाप – उत्तर की सीमित, पश्चिम – [illegible] पूर्व की सीमा, दक्षिण – [illegible]

सुरक्षित मूल्य : रू. रू. 26,70,000/–

(रुपए ईक्कीस लाख सत्तर हजार मात्र)

नीलामी का विवरण

निविदा–सह–नीलामी बिक्री की तिथि	स्थान
23-08-2023	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली– लक्ष्मी नगर शाखा, [illegible] नई दिल्ली–110092

निविदा–सह–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :

(1) उपयुक्त अभिलाभार्थी को बिक्री के लिए बंधक आवेदन भरा के अधिकार तथा आवेदन प्राप्त होने तथा [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] (5) [illegible] (6) [illegible] (7) [illegible] (8) [illegible] (9) [illegible] (10) [illegible] (11) [illegible] (12) [illegible] (13) [illegible] (14) [illegible] (15) [illegible] (16) [illegible] (17) [illegible] (18) [illegible] (19) [illegible] (20) [illegible] (21) [illegible] (22) [illegible] (23) [illegible] (24) [illegible] (25) [illegible] (26) [illegible] (27) [illegible] (28) [illegible] (29) [illegible] (30) [illegible] (31) [illegible] (32) [illegible] (33) [illegible] (34) [illegible] (35) [illegible] (36) [illegible] (37) [illegible] (38) [illegible] (39) [illegible] (40) [illegible] (41) [illegible] (42) [illegible] (43) [illegible] (44) [illegible] (45) [illegible] (46) [illegible] (47) [illegible] (48) [illegible] (49) [illegible] (50) [illegible] (51) [illegible] (52) [illegible] (53) [illegible] (54) [illegible] (55) [illegible] (56) [illegible] (57) [illegible] (58) [illegible] (59) [illegible] (60) [illegible] (61) [illegible] (62) [illegible] (63) [illegible] (64) [illegible] (65) [illegible] (66) [illegible] (67) [illegible] (68) [illegible] (69) [illegible] (70) [illegible] (71) [illegible] (72) [illegible] (73) [illegible] (74) [illegible] (75) [illegible] (76) [illegible] (77) [illegible] (78) [illegible] (79) [illegible] (80) [illegible] (81) [illegible] (82) [illegible] (83) [illegible] (84) [illegible] (85) [illegible] (86) [illegible] (87) [illegible] (88) [illegible] (89) [illegible] (90) [illegible] (91) [illegible] (92) [illegible] (93) [illegible] (94) [illegible] (95) [illegible] (96) [illegible] (97) [illegible] (98) [illegible] (99) [illegible] (100) [illegible]

स्थान : जयपुर दिनांक : 14-07-2023, हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

Chola चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : नम्बर 2 तेज़ा इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस, [illegible] मुम्बई–400 [illegible]

शाखा कार्यालय : [illegible]

विषय : निजी संधि के माध्यम से प्रतिभूत सम्पत्ति की बिक्री की सूचना

ऋण खाता सं. [illegible]

1. श्री मुकेश महाजन पता : डी–63, प्रताप नगर, [illegible] स्टोर के सामने, आगरा, उत्तर प्रदेश–282010
2. श्री योगेश महाजन पता : डी–63, प्रताप नगर, [illegible] स्टोर के सामने, आगरा, उत्तर प्रदेश–282010
3. श्री चंचल महाजन पता : डी–63, प्रताप नगर, [illegible] स्टोर के सामने, आगरा, उत्तर प्रदेश–282010
4. मैसर्स आस्था इंटरप्राइजेस पता : 19/8/2ए, गली नंबर 2, [illegible], आगरा, उत्तर प्रदेश–282010

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आपने अपने सह–कर्जदारों के साथ हमसे सन 2017 में रु. 75,00,000/– की राशि लेकर ऋण की मंजूरी के लिए हमें [illegible] ऋण बकाया [illegible] के माध्यम से रु. 75,20,000/– की राशि लेकर ऋण मंजूर किया था जिसके लिए सम्पत्ति [illegible] हमारे पक्ष में गिरवी रखी थी। तदुपरांत, आपने नवीन किस्तों के भुगतान में चूक की है और खाता एनपीए घोषित कर दिया गया तथा हमने सरफासी ऐक्ट के तहत कार्यवाही प्रारंभ की है। हमने संबंध सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है और बंधक सम्पत्ति को ई–नीलामी के माध्यम से बेचने का प्रस्ताव किया है।

बाद में 2017/2022 में प्रभार जिला मजिस्ट्रेट, जिला–आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25–07–2023 से अनुसार हमने बंधक सम्पत्ति – एक गुलाब और भवन जिसका प्रतिष्ठानिक क्रमांक डी–63, प्रताप नगर एम.एम.आई.जी सेक्टर हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम परिमाप 116.447 वर्ग मीटर, जिसका सटीक आगरा पुलिस स्टेशन लोहामंडी आगरा, मौजूदा – उत्तर एम.एम.आई.जी. डी/64एम, पश्चिम : एम.एम.आई.जी. डी/67, पूर्व : 30 फीट रोड तथा पश्चिम : एम.एम.आई.जी. डी/74, का भौतिक कब्जा दिनांक 20–02–2023 को ले लिया है। तदुपरांत हमने बंधक सम्पत्ति को ई–नीलामी बिक्री के माध्यम से बेचने की कार्यवाही आरंभ की है।

हमारे द्वारा बंधक सम्पत्ति को बेचने से लिए सुरक्षित मूल्य रु. 61,00,000/– के साथ संशोधित ई–नीलामी दिनांकित 16–04–2023 और सुरक्षित मूल्य रु. 78,00,000/– के साथ संशोधित ई–नीलामी दिनांकित 30–05–2023 के माध्यम से आयोजित एकमात्र असफल सार्वजनिक नीलामी बिक्री के दुष्परिणाम हमें एक इच्छुक क्रेता मिला जिसने तत्पश्चात सम्पत्ति हमसे क्रय करने के आशय के साथ सम्पर्क किया। समुचित विचार–विमर्श के पश्चात, हमने बंधक सम्पत्ति निजी संधि द्वारा बेचने का प्रस्ताव किया है और रु. 78,00,000/– की राशि हेतु बोली पुष्टि पत्र दिनांकित 20–06–2023 जारी किया है। कृपया ध्यानपूर्वक दे पढ़िए, हम बंधक सम्पत्ति इच्छुक क्रेता को निजी संधि के माध्यम से सम्पन्नसूचित बेच चुके हैं। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहते कि हम बंधक सम्पत्ति निजी संधि के माध्यम से बेच चुके हैं और हम आपका क्रेता के पक्ष में सम्पत्ति का पंजीकरण करवा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त माननीय के अनुसार, सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने के साथ ही यहां पर वस्तुएं रखी/पड़ी है। जबकि सम्पत्ति से जुड़ी वस्तुएं लगाने के अनेक अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। इस परिस्थिति में, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सम्पत्ति से सभी को वस्तुएं इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के भीतर हटा दें, जिसमें असफल रहने पर हम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उनको अपने माध्यम जोखिम करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए हम सक्षम में होंगे वहां वहां लगाई गई सभी चीजें केवल के परिणामों के लिए एकमात्र हम से आप जिम्मेदार होंगे। कृपया नोट करें कि संयोग, जो आपकी वस्तुएं रखी जाएंगी, जो किसी आपके द्वारा खाता लिया जाएगा और आपके ऋण खाते से संबंधित लिया जाएगा। यह सूचना अधिकारी और पत्रों को प्रतिष्ठित जानकारी लिए दिया जाता है जो सही है क्या हमारे पास उपलब्ध कानूनी तर्कों के आधार है।

स्थान : आगरा दिनांक : 14–07–2023, हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

नवम तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001

फोन: 23353503 फैक्स: 23753923

याचिका सं. 124/टीएल/2023 दिनांक: 6.7.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

याचिका B-A ट्रांसमिशन लिमिटेड, सी–105, कालेज मिलेनियम, नई दिल्ली–110021 द्वारा निम्नलिखित पारेषण की प्रार्थना करते हुए निम्नलिखित स्थानीय, प्रस्तावित और अंतरण आधार पर (इसके बाद 'परियोजना' के रूप में संदर्भित) नोटिस B – पार्ट ए के अधीन याचना पीएम में 4 के नीलामी कार्य/ओएमसी की निकाली के लिए पारेषण प्रणाली के स्थानीय करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14, 15 और 79 (1) (ई) के अधीन आवेदन किया गया है।

क्र. सं.	पारेषण पथक का नाम	अनुमानित लागत के साथ अनुसूचित सीओडी
1.	कोपीएस (सीओडीएस) – लखनीदौना 765 केवी डी / सी लाइन	24 माह
2.	कोपीएस (सीओडीएस) से कोपीएस विटा में 330 एमवीएआर रियेक्टर का स्थानांतरण लाइन रियेक्टर – लखनीदौना 765 केवी डी / सी लाइन • 330 एमवीएआर, 765 केवी रियेक्टर लाइन रियेक्टर – 2 नं. • कोपीएस (सीओडीएस) में कोपीएस 765 केवी लाइन रियेक्टर – 2 नं. 1x110 एमवीएआर स्टेपर बार रियेक्टर के लिए रिसीवर फाउन्डेशन की स्थापित की जाना में अनुकूल किया जाना है।	
3.	खारका पीएस (सीओडीएस) – लखनीदौना पीएस 765 केवी डी / सी लाइन के लिए लखनीदौना पीएस पर कोपीएस (सीओडीएस) में प्रत्येक 765 केवी लाइन के छा 2 नं. • 765 केवी लाइन के (सीओडीएस) – 2 नं. (कोपीएस विटा के लिए) • 765 केवी लाइन के (लखनीदौना) – 2 नं. (लखनीदौना विटा के लिए)	

नोट:

1) खारका में 3 जीआईएस आर्क ओपीएन की निकाली के लिए पारेषण प्रणाली कंपनी के अधीन की जा रही है। खारका में 4.5 जीआईएस आर्क ओपीएन की निकाली के लिए कोल 3 आर्क रीलाना खारका आर्क पार्क में 3 जीआईएस में आर्क निकाली अवेदन के लिए किए जाने की आवश्यकता है।

2) कोल 3 (खारका का से चार पर) के अधीन खारका आर्क पार्क में 4.5 जीआईएस आर्क ओपीएन की निकाली के लिए प्रस्तावित सभी पारेषण पैकेजों का कार्यान्वयन समान टाइमलाइन के लिए जारी की आवश्यकता है।

3) लखनीदौना पीएस का विस्तारकर्ता कोपीएस (सीओडीएस) – लखनीदौना 765 केवी डी / सी लाइन की समाप्ति के लिए 765 केवी लाइन के प्रस्तावित पीएस विटा में 2 नं. हेतु स्थान प्रदान करेगा।

3) आयोग का मानना, अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिए गए मानदिशानिर्देशों की अनुसार कार्यदाही मापन डेवलपमेंट एण्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड (कार्यदाही/सीडीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से 1180.04 मिलियन की टिप्पणन लागतों पारेषण प्रणाली सहित पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में किया गया है।

3. मैसर्स ट्रांसमिशन मुलिटिनी सर्विस इंडिया लिमिटेड ने संकल्पित पारेषण अनुसूचित प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदन को पारेषण अनुसूचित प्रदान किए जाने के लिए संकुचित किया है।

4. नियोजी के उपलब